“सर्वशिक्षा अभियान में माता शिक्षक संघ की भूमिका की व्याख्या”

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

''सर्वशिक्षा अभियान में माता शिक्षक संघ की भूमिका की व्याख्या''

Rashmi

Research Scholar, Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand

सार : – सर्वशिक्षा अभियान को चलाने में ''माता शिक्षक संघ'' की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है यह संघ–माताओं और शिक्षकों का एक समूह होता है इसमें वे सभी मातायें शामिल होती हैं, जिनके बच्चे विद्यालय आते हैं, या जिनके बच्चे बीच–बीच में विद्यालय नही आते या फिर जिनके बच्चे शालात्याग चुके हैं। ''माता शिक्षक संघ'' के सदस्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करते हैं विकलांग बच्चों को भी विद्यालय लाने में सहायता करते हैं। शिक्षकों को भी बच्चों के विषय में जानकारी देती है। ''माता शिक्षक संघ'' बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के खानपान, विद्यालय भेजना, खेल आदि सम्पूर्ण क्रियाओं से अवगत कराते हैं। प्रतिमाह बैठक के द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करती है तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति, देश के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति तथा अन्य क्रिया कलापों के प्रति योजना बनाकर क्रियान्वित करती है।

---------------------------------x---------------------------------

प्रस्तावना

माता शिक्षक संघ इस प्रकार की संस्था है जो शालात्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के शैक्षिक प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। आधारभूत स्तर पर महिलाओं की शिक्षा की भागारी को सुनिश्चित करने के लिए माता शिक्षक संघो की स्थापना की गयी है। माता–शिक्षक संघ उन विद्यालयों में स्थापित किये गये हैं जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बालिकाओं के स्कूल भेजने के लिये प्ररित करना माता–पिता को बेटीयों की शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना आदि कार्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। ''अधिकतर संघ उन विद्यालयों में स्थापित है जो प्रतिदर्श समूह विकास अधिगम के अन्तर्गत आते है इन संघो को अपने स्वरूप की परिभाषा करने एवं प्रतिदर्श समूह विकास अनुगमन से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सहायता की जाती है।'' ये संघ ऐसे शिक्षा केन्द्र हैं जो शाला त्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के लिये है। इनके लिये शिक्षण सामग्री का वितरण एवं केन्द्रों का पर्यवेक्षण भी समय–समय पर किया जाता है।''

माता शिक्षक संघ से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम

माता शिक्षा संघ के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सम्पादित किये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

माँ–बेटी मेला कार्यक्रम :

माँ–बेटी मेला में माताएँ अपनी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक जोर दे रही है। इसके लिए संगठन बनाये गये है जिसमें न्याय पंचायत की प्रधान महिला, प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षिकायें व ग्राम की अन्य महिलायें सम्मिलित होती है। ''माता शिक्षक संघ'' के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रमों में ''माँ–बेटी मेला'' कार्यक्रम अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

बालिका शिक्षा कार्यक्रम :

माता शिक्षक संघ के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है शिक्षित बालिका ही शिक्षित समाज का निर्माण करती है शिक्षित समाज के लिये बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है यद्यपि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बालिका शिक्षा में पिछड़े जनपदों में और अधिक प्रयास किया जा रहा है हमारा सभी का दायित्व है कि अपने–अपने क्षेत्रों में लक्ष्य समूह की प्रत्येक बालिका का विद्यालय में न केवल नामांकन हो अपितु गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कर सभी बालिकायें 5 वर्ष की शिक्षा आवश्यक रूप से पूर्ण कर सके।

प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं परिदृश्य :

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले गतिरोधों को भली प्रकार समझा जा सकता है। बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल हैं। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे–बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव आर्थिक, बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणाएँ और अंधविश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिये शिक्षा की माँग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएँ अपर्याप्त है बालिकाओं के अभिभावक और जनसमूह में उनके शिक्षा हेतु सोच में एक बदलाव लाना और उनके लिये शिक्षा के महत्व को समझकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करना महत्वपूर्ण कार्य है। गरीब परिवारों में महिलाओं की निम्न स्थिति जैसे कि घर की महिलाओं और बालिकाओं पर कार्य का बोझ आ जाता है। जिससे कि उनके बेटे अथवा भाई अपनी पढ़ाई कर सके उसके बाद उन्हें भोजन में एक क्षीण अंश ही प्राप्त होता है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संसाधन के अधिगम का अभाव है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का कार्य पानी भरना (लाना), चारा एवं खाना पकाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना, बच्चों एंव पशुओं की देखभाल करना है। अतः अक्सर उनकी शिक्षा में भागीदारी नकार दी जाती है। बालिकाओं के धारण के दो प्रमुख कारण है अभिभावकों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे बालिकाओं के यौवनागमन से पहले ही स्कूल से हटा देते हैं क्योंकि वे अब पूर्ण रूप से गृह कार्य कर

सकती हैं दूसरा कारण यह है कि स्कूल का वातावरण जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाते हैं और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है। कटाई शादी, और त्यौहार मेलों के अवसर पर भी इन्हें घर पर ही रोक लिया जाता है जिससे कि स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है इनकी इस कमी को पूरा करने का कोई और उपाय न होने के कारण इससे उस चक्र की शुरूआत होती है जिसकी पहली कड़ी शिक्षक को हतोत्साहित कर देती है और आखिरकार यह बालिकायें पढ़ाई छोड़ देती है प्राकृतिक रूकावटें जैसे–स्कूल की दूरी, सुनसान रास्ते, जंगल, नहर/नदी तथा बाढ़ की अनियमितता स्थिति समस्याओं को और भी उत्प्रेरित कर देती है।

"जिला, ब्लॉक एवं समूह भी बालिकाओं की स्थिति में समस्याओं एवं मुद्दों पर संकेत करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के हेतु नियोजित कार्यक्रमों को बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।

जिले जातीय रणनीति सभी बालिकाओं पर लागू है परन्तु जिन बालिकाओं के लिये स्कूल में प्रवेश निषिद्ध है उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम का निर्माण अति आवश्यक है जो कि उनकी स्थिति के प्रभाव को कम कर सके।"

बालिका शिक्षा में अवरोध :

लिंग भेद

महिलाओं व पुरूषों की शारीरिक संरचना के आधार पर उन्हें एक सामाजिक व्यक्ति के आधार पर उन्हें एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में समझा जाता है यह लिंग भेद कहलाता है। यह महिलाओं व पुरूषों के बीच सामाजिक संबंध की व्यवस्था करता है तथा बालक व बालिकाओं में समाज द्वारा भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। लिंग भेद के कारण महिलाओं के सम्पूर्ण कार्यो में उनकी सहभागिता में एक निवारक या बाधक के रूप में कार्य करता है, बालिकाओं के लिए समाज एक गुणहीन, दासत्व एवं आश्रित स्वप्रतिबिम्ब का निर्माण करता है।

महिला समाख्या कार्यक्रम :

शिक्षा पर केन्द्रित महिला सशक्तिकरण की रणनीतियों का मार्गदर्शन सर्वप्रथम महिला समाख्या का कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है महिला समाख्या का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से पहले हुआ महिला संघ वह केन्द्र बिन्दु है जिनके चारों ओर ग्रामीण स्तर की गई गतिविधियाँ योजनाबद्ध है। बच्चों की माताओं को सम्मान देने के लिए कि वे स्कूल के लिए महत्वपूर्ण, व विभिन्न अवसरों पर भी सम्मानित किया जाता है। यह महिलाओं के साथ मिलने, रहने एवं विचार करने का अवसर प्रदान करते है। महिला संघ एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा महिलाऐं पारम्परिक अनुभवों से लाभान्वित होकर अपनी सामूहिक स्थिति का विश्लेषण करती है। इस सामूहिक मंच के द्वारा महिलाएँ सवाल उठाती है एवं निर्भीकता पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करती हैं। महिला समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कार्य करने के लिए स्थानीय स्वामित्व की स्वीकृति दी जाती है तथा महिलाओं के द्वारा अपने बेटे और बेटियों के लिए शिक्षा के अवसरों की माँग का प्रतिवेदन किया जाता है, जहाँ–जहाँ महिला संघ की स्थापना की गयी है वहाँ–वहाँ महिलाओं की शिक्षा एवं समाज में अपनी जगह से सम्बन्धित उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है अपने जीवन को नियन्त्रण कर लेने की प्रक्रिया में महिलाओं ने अपने बच्चों और अपने लिये औपचारिक शिक्षा के महत्व को स्वीकारना प्रारम्भ कर दिया है।

महिलाओं के लिये समान शिक्षा :

महिलाओं के संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्गो के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते हैं। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदायों जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं। इन प्रयासों में किशोरी केन्द्र, महिला साक्षरता केन्द्रं महिला शिक्षण केन्द्र एवं चलाये गये कैम्प जो महिलाओं एवं बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है जैसे कि महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर, किया जाना, अतुलनीय व्यक्तिगत विविधताओं के आदर एवं सोच विचार के लिए समय निकालना, समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघों की भागीदारी के लिए समर्थ बनाना, शैक्षिक प्रतिमानों में जेण्डर संवेदनशीलता का होना, बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के अनुकूल वातावरण के निर्माण का कार्य हो रहा है। महिलाओं एवं पुरूषों में महिलाओं के बीच जेण्डर भेद पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए महिला समाख्या की वैकल्पिक शिक्षा के अभ्यास एवं प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।

महिलाओं द्वारा चलाये गये – बाल केन्द्र :

महिलाओं के द्वारा जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझ गया तो उन्होनें अपने घर के पास बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था बनाने की इच्छा भी प्रकट की। इसके पश्चात् बाल केन्द्रों की संकल्पना एवं उनकी स्थापना की गयी। यह केन्द्र जो सभी दस जिलों में कार्यरत है यह केन्द्र उन बालक व बालिकाओं की शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये चलाये गये है जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नही है। बाल केन्द्र ऐसे प्रारम्भिक केन्द्र है जिनके महत्व को औपचारिक स्कूल में प्रवेश सहज बनाने के विचार को भी स्वीकार किया गया है क्योंकि औपचारिक स्कूलों में नामांकन के समय यह बच्चे इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते है।

बाल केन्द्रों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रणाली एक जीवन का अनुभव है इस पाठ्यक्रम विकास में बालिका को केन्द्र बिन्दु माना गया है। शिक्षा के हर पहलू में विद्यार्थी के आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, बच्चों में पायी जाने वाली हर योग्यता एक संसाधन है, बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर को आधार बनाकर पाठ्यक्रम का विकास किया गया है और उसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनूकूल बनाया है।

महिलाओं के संघ द्वारा अपने सदस्यों अथवा ग्रामवासियों में से एक अनुदेशिका का चयन किया जाता है। जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा–5 होती है। अनुदेशिका का प्रशिक्षण उसे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों (4–14) की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सुसज्जित किया जाता है। वह हर समूह के साथ सुनिश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सत्र का संचालन करती है तथा हर बच्चे की शैक्षिक निपुणता एवं सम्पादन का अभिलेख रखती है। उसका व केन्द्र के कार्य के लिए सहयोगिनी (जो 10 गाँवों के लिये होती है एवं संघ की महिलाओं) के द्वारा नियमित अवधि पर आँकलन एवं अनुश्रवण किया जाता है। हर महीने अनुदेशिकायें मिलकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करती हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करती हैं।

महिलाओं द्वारा चलाये गये – महिला शिक्षण केन्द्र

शिक्षा के क्षेत्र में महिला समाख्या द्वारा किये गये प्रयत्नों में से महिला शिक्षण केन्द्र को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है ये महिलाओं एवं बालिकाओं के आवासीय बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्र खोले गये है। सबसे पहले महिला शिक्षण केन्द्र बांदा जिले में सन् 1995 में 28 विद्यार्थियों (महिलाऐं एवं बालिकाओं) के साथ खोले गये जो इस तरह के केन्द्र छः माह तक उपस्थित रहे। इन केन्द्रों पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक नवीन बात थी, इन केन्द्रों पर पाठ्यक्रमों को निर्माण एवं विकास का कार्य भी दोनों ने सहभागिता के द्वारा किया।

ये केन्द्र मुख्यतः महिलाओं की माँगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं बल्कि किशोरियों की सहायता भी कर रहे हैं। महिला शिक्षण केन्द्रों के द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों की सेवा भी कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्रों पर अलग–अलग कार्य किये जा रहे हैं व उनकी अलग ही समय सारिणी तैयार की गयी है। इनके कार्य को संगठित करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक तीन महीनों के प्रयास अनुदेशिकाओं तथा सहयोगिनियों की क्षमता को बढ़ाने पर केन्द्रित रहते हैं किन्हीं महिला शिक्षण केन्द्रों में नामांकित 31 बालिकाओं में से 14 बालिकायें बाल केन्द्रों (हिडोला) में तीन से चार वर्ष तक पढ़ चुकी होती हैं और कक्षा–5 की परीक्षा के लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त करना चाहती हैं। इसके अन्तर्गत टोली बनाकर (बीस़) 20 महिलायें जड़ी बूटियों द्वारा औषधि तैयार करने प्रशिक्षण भी प्राप्त करती है। इन महिलाओं के इस ओर सक्षम बनाने के लिए एक माह के विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। महिला शिक्षण केन्द्र में शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 60 बालिकाऐं प्राथमिक विद्यालय की मुख्य धारा से जुड़ गयी हैं। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने से बालिकाओं के विवाह की आयु बढ़ाने में सहायता मिलती है। महिला शिक्षण केन्द्र में शिक्षा प्राप्त करने वाली विद्यार्थी कक्षा–5 व प्रादेशिक शिक्षा परिषद की कक्षा–8 की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त माने गये हैं। महिला शिक्षण केन्द्र को शिक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण

बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई सम्बन्धी व्यावसायिक कौशल विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु 04 माह का सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सिलाई कढ़ाई मशीने उपलब्ध कराई गई है तथा टी0टी0आई0 योग्यताधारी अनुदेशिकाओं के द्वारा बालिकाओं को सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में सिलाई–कढ़ाई मशीन की सामान्य जानकारी, रखरखाव के साथ दैनिक उपयोग में आने वाले कपड़ो जैसे–फ्राक सलवार, कमीज, पायजामा आदि की सिलाई तथा कढ़ाई में शार्ट स्टिच, रनिंग स्टिच, पैच वर्क आदि सिखाये जाते है। इस कार्य हेतु विद्यालयों को कच्चा माल जैसे कपड़ा, कैंची, फीता, धागा आदि भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के उत्तरार्ध में बालिकाओं के दक्षता कौशल को विकसित करने और उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण सह–पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप है और इससे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का यह दायित्व बनता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने हेतु सक्रिय योगदान दें।

माता शिक्षक संघ की भूमिका की व्याख्या

माता शिक्षक संघ एक ऐसी संस्था है जो शालात्यागी अपंजीकृत बालिकाओं के शैक्षिक प्रबन्ध उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। महिलाओं की शिक्षा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माता शिक्षक संघों की स्थापना की गई, जिससे इस संस्था के महत्वपूर्ण व उच्च स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। माता शिक्षक संघ अधिकांश उन विद्यालयों में गठित किया गया है जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा इससे बालिकाओं को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करके आगामी भविष्य की नींव मजबूत हो सकेगी। इस संस्था के लिए शिक्षण सामग्री एवं उसका सही प्रयोग करने की उचित व्यवस्था की गई है जिससे अपंजीकृत शालात्यागी बालिकाऐं उसका पूर्ण लाभ ले रही हैं। समय–समय पर बच्चों को पुस्तकें, मिड–डे–मिल वितरित किया जा रहा है। माता शिक्षक संघ द्वारा छात्राओं के पंजीकरण एवं धारण के लिए सामुदायिक गतिशीलता निरन्तर बढ़ रही है तथा विद्यालय व समुदाय का अच्छा सामंजस्य बढ़ रहा है। छात्राओं की जो अनियमित उपस्थिति थी उसकी कठिनाईयों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संघ द्वारा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है तथा नवीन पंजीकरण एवं ठहराव के लिए घर सर्वेक्षण के आकंडों का अनुवर्तीकरण किया जा रहा है।

बालिका शिक्षा के लिए अभिभावकों/समुदाय को विभिन्न आन्दोलनों वातावरण निर्माण के लिए विशेष प्रयासों, महिला कैम्प/मेला आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है जिससे अभिभावकों/माताओं तथा विद्यालय शिक्षकों के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा तथा निचले स्तर पर ऐसी सहायक संरचना का विकास होगा जो महिलाओं को उनकी अपनी तथा अपनी बेटियों की शिक्षा के माँग हेतु प्रोत्साहित कर रहा है जिससे बालिकाओं के लिए जागरूक क्रियाकलापों के द्वारा आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाया गया है और वह शिक्षण कार्य में रूचि ले रही हैं। महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री लगातार विकसित की गई है इससे बालिका शिक्षा का निखार सामने आता दिखाई दे रहा है। माता शिक्षक संघ से वार्ताओं के बाद अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पंजीकरण एवं धारण के लिए सामुदायिक गतिशीलता बढ़ाना तथा विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के लिए बालिकाओं द्वारा उचित शिक्षण कार्य किये जा रहे है। माता शिक्षक संघ द्वारा अनियमित उपस्थिति से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर किया गया है।

माता शिक्षक संघ से सम्बन्धित इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जैसे माँ–बेटी मेला द्वारा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को उनकी माताओं के साथ लाना एवं उन्हें बालिकाओ की शिक्षा, स्कूल में की गयी गतिविधियों एवं बच्चे स्कूलों में क्या करते हैं आदि की विशेष जानकारी दी जा रही है। इससे महिलायें संगठित होकर भाग ले रही हैं। मेले से पूर्व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन एवं उनके लिए स्कूली बच्चों को तैयार किया जाना लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता से प्रेरणात्मक रैलियों का आयोजन समय–समय पर किया जा रहा है, जिससे स्कूल न जाने वाले बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। इस संघ के अन्तर्गत मीना अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे बालिकाओं के लिए शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर सामाजिक जागरूकता

पैदा की जा रही है जो सामाजिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक है। बालिकाओ की शिक्षा के लिए इस संचार तकनीक का प्रयोग माता शिक्षक संघों की सभाओं एवं अन्य जागरूकता अभियानों में किया गया है। माता शिक्षक संघ में बालिका की शिक्षा पर अत्याधिक बल दिया गया है क्योंकि शिक्षित बालिका ही शिक्षित समाज का निर्माण करती है। महिला समाख्या कार्यक्रम द्वारा महिला संघ जो ग्रामीण स्तर से योजनाबद्ध है व महिलाओं के साथ मिलते रहने एवं विचार करने का सुअवसर मिलता है, जिसको माता शिक्षक संघ का एक मुख्य आधार माना गया है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से बालिका शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की गई इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक भावना विकसित करना था किन्तु अधिकांश गाँवों में यह पाया गया कि अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति कम जागरूक थे तथा सामुदायिक स्वामित्व की भावना भी अत्यन्त भिन्न स्तर की थी। महिला समाख्या कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण हेतु आरम्भ किया गया इसमें महिलाओं को पारस्परिक अनुभवों से लाभान्वित होकर उत्पादक गतिविधियों को प्रारम्भ करने की योजना बनाई गई, किन्तु इसमें यह पाया गया कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनता द्वारा महिलाओं के प्रति आदर एवं सोच की भावना कम पाई गई। महिलाओं को कार्य करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई किन्तु उसका पूर्ण लाभ महिलाओं को नही मिल पाया। बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा के बाद शाला त्याग करने वाली किशोरियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली किशोरियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की गई थी किन्तु कहीं–कहीं पर महिला शिक्षकों के अभाव के कारण ये किशोरी केन्द्र सफल संचालित होने में असफल रहे। महिला शिक्षण केन्द्र आवासीय शिक्षण संस्थायें हैं जिनमें महिला शिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनमें कुछ महिलाओं में तो आत्मविश्वास विकसित हुआ है किन्तु अर्न्तमुखी महिलाओं का आत्मविश्वास कम मात्रा में विकसित हो पाया है। बालिकाओं का आत्मविश्वास कम मात्रा में विकसित हो पाया है। बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा में नामांकित करने के लिए बाल केन्द्रों की स्थापना तो की गई है इनमें शिक्षा प्रदान करने वाली अनुदेशिकाओं की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा पाँच होनी चाहिये परन्तु कम योग्यता वाली महिलाओं द्वारा ही इन बाल केन्द्रों में अनुदेशन किया जा रहा है जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में अधिक परिवर्तन नहीं हो पाया है। सर्वशिक्षा अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का संचालन जनपद स्तरीय समिति के द्वारा किया जाता है। यह योजना पूर्ण रूप से प्रभावशाली नही हो पाई है क्योंकि इस योजना की पात्र बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य बालिकाओं को भी इसमें प्रवेश दे दिया जाता है। इस योजना में महिला शिक्षिका को विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होता है किन्तु कभी–कभी कुछ महिलाऐं बीच में चली जाती हैं जिससे उनकी सुरक्षा के उत्तरदायित्व में कमी आती है। इस योजना का प्रचार–प्रसार करने के लिए मुद्रित तथा अमुद्रित जनसंचार माध्यमों का प्रयोग कम मात्रा में किया जा रहा है। अपवंचित वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निर्धन शालात्यागी और अनामांकित बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनमें आत्मविश्वास जागृत करने में पुस्तकीय ज्ञान से हटकर कौशल विकास, कार्यक्रमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है परन्तु इसमें बालिकाओं की सम्पूर्ण भागीदारी नही मिल पा रही है कभी–कभी बालिकाऐं बीच में ही इस भागीदारी को छोड़कर चली जाती है जिससे उनके अन्दर छिपी हुई भावना को भी जागृत नही किया जा सकता है इसलिए इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार भी कम हो पा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाण्डेय, के०पी० – एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स इन इन्डिया, विश्वविद्यालय, चौक, वाराणसी, 2000

2. भाई योगेन्द्र जीत – शिक्षा में नवाचार और नवीन पृवृतियाँ डॉ० रांगेय राघव मार्ग, आगरा–2, 1999

3. एस०पी० सुखिया – पी०वी०मेहरोत्रा, आर०एन० मेहरोत्रा, : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व गुडबार एवं स्कैट्स की पुस्तक, 1970।

4. अग्रवाल, जे0सी0 – भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2007

5. गुरसरनदास त्यागी – प्रारम्भिक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2005–2006

6. डॉ0 पी0के0 सक्सैना – प्रारम्भिक शिक्षा के उभरते आयाम एवं शैक्षिक मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2004–05

7. गुरसरनदास त्यागी – भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2, 2002